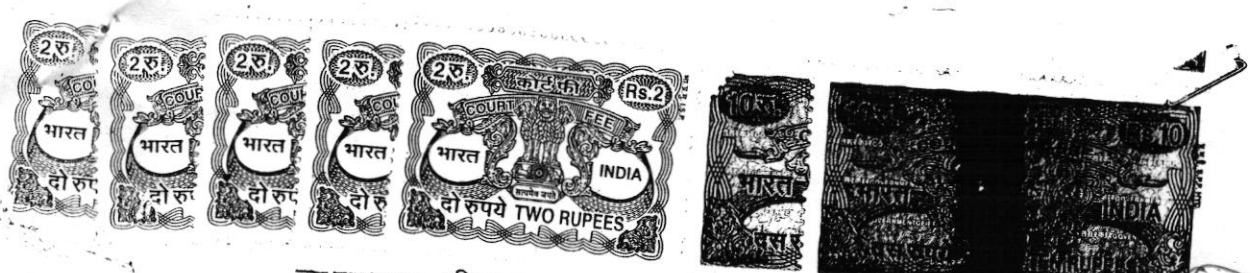

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल , ग्वालियर कम्प सागर

निगरानी - 4073/2018/ सागर/भू. रा

श्रीमति राधाबाई पति श्री सीताराम अहिरवार

निवासी - ग्राम महुआखेड़ा गोड़ी तह० जैसीनगर

जिला- सागर म.प्र. ... पुनरीक्षणकर्ता

॥ विरुद्ध ॥

1. मन्नू अहिरवार तनय मुकुन्दा अहिरवार

2. परषोत्तम अहिरवार बल्द मुकुन्दा अहिरवार

दोनों निवासी शासकीय अस्पताल के आगे, वार्ड नं. 15

राहतगढ़ तह० राहतगढ़ जिला सागर म.प्र.

3. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर सागर ... अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

यहकि, पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर द्वारा रा.अपील क्र. - 679/अ-6 वर्ष 2014-15 पक्षकार श्रीमति राधा बाई विरुद्ध मन्नू व अन्य में पारित आदेश दि० 02.01.2018 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करतीहै :-

//प्रकरण के तथ्य//

1- यहकि, पुनरीक्षणकर्ता ने अनावेदकगण से उसकी स्वामित्व की भूमि मौजा महुआखेड़ा गोड़ी हल्का नं. 68तह० व जिला सागर ख. नं. 20/2रकवा 3.00एकड़ 39,000/-रूपये में रजि०विक्रयपत्र दि० 21.04.95 के माध्यम से खरीदकर मालकाना व खास कब्जा पाया था । पुनरीक्षणकर्ता का उक्त खरीदशुदा भूमि पर संशोधन पंजी क्र. 7 आदेश दि० 24.07.05 के माध्यम से राजस्वरिकार्ड में नाम दर्ज कियागया था पुनरीक्षणकर्ता का खरीद दिनांक से उक्त भूमि पर मालकाना व खास कब्जा है ।उक्त विक्रयपत्र दिनांक-21.04.95 में अनावेदकगण द्वारा स्पष्ट लेख कियागया थाकि उक्त भूमि अनावेदकगण की खानदानी भूमि है शासकीय पट्टे की नही है ।

2- यहकि, अनावेदकगण1 ने एक शिकायत श्रीमान ...

Amended order dt 4/4/18 ... 4/4/18

भूपेन्द्र पाठक (एड.) द्वारा प्रस्तुत । ... 15-6-18

2-1-18 ... 6793-6...

मो ... साक्षी

प्रतिअपीलार्थी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4073/2018/सागर/भू.रा. जिला सागर राधाबाई विरूद्ध मन्नू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24 -08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । निगरानीकर्ता राधाबाई के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 149/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-05-2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि की सत्यप्रतिलिपि आज दिनांक को शीघ्र सुनवाई के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है । 2. गतपेशी दिनांक 23-08-2018 को निगरानीकर्ता के अभिभाषक को ग्राह्यता व धारा 52 के आवेदन पर सुना गया । 3. मेरे द्वारा अपर आयुक्त सागर के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 02-01-2018 व अनुविभागीय अधिकारी सागर के द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 12-05-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि खसरा वर्ष 2001 एवं 2002 में उक्त भूमि मुकुन्दा पिता कन्छेदी (अपीलार्थी मन्नू व पुरूषोत्तम के पिता) के नाम भूमिस्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय अंकित है । भूमि शासन द्वारा पट्टे पर प्रदाय की गयी थी । पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय विक्रय के पूर्व कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है, जिसका प्रतिअपीलार्थी राधाबाई ने कलेक्टर से अनुमति लेना लेख नहीं किया है और न ही अनुमति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है । अपर आयुक्त ने अपने द्वितीय अपील में पारित आदेश से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत व हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया है एवं अपीलार्थी की अपील सारहीन पायी है । 5. निगरानी मेमो में कलेक्टर के किसी आदेश दिनांक 10-11-2014 को उल्लेखित किया है व उसकी प्रति भी प्रस्तुत की है । कलेक्टर का वह आदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध नहीं है बल्कि वह एक प्रशासकीय	

24/8/18

जांच है एवं प्रकरण विविध मद बी-121 में दर्ज किया गया है । अत: उस आदेश का इस पुनरीक्षण प्रकरण में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है । कलेक्टर के आदेश दिनांक 10-11-2014 से यह भी विदित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगणों के पिता/पति मुकन्दा को वर्ष 1975-76 में पट्टे पर प्रदाय की गयी थी एवं मुकन्दा पिता कन्छेदी को वर्ष 1986-87 में भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किये गये, जबकि वर्ष 1980 में ही मुकन्दा फौत हो गये, अर्थात मुकन्दा पिता कन्छेदी की मृत्यु के 6-7 वर्ष पश्चात मृतक व्यक्ति को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किये गये । मृतक के वारिसानों (मन्नू, पुरूषोत्तम, जमनाबाई) के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरण वर्ष 2000-2001 में किया गया था एवं वारिसानों के द्वारा उनके पक्ष में नामान्तरण होने के 5-6 वर्ष पूर्व ही दिनांक 21-04-1995 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के द्वारा राधाबाई (निगरानीकर्ता) को भूमि विक्रय की गयी । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मृतक व्यक्ति के पक्ष में उसकी मृत्यु के पश्चात भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार देना एवं ऐसी भूमि का अधिकार रहित विक्रय किया जाना त्रुटिपूर्वक प्रतीत होता है ।

6. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ने WP-539/2017 श्री जया राठी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30-01-2018 में निम्नानुसार Observation दिया है ।

" The land was granted to the landless persons on lease by the State Government. The transfer of land leased to a landless person could be affected only after getting approval from the Collector. Since admittedly the approval from the Collector was not sought, such transaction has been rightly found to be void as such transaction is in contravention of statutory provisons."

7. अत: उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य 24/8/18